गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद

(I.S.O. 9001:2008 एवं I.S.O. 14001:2004 द्वारा प्रमाणित संस्था)

इन्दिरापुरम योजना स्थित स्वर्णजयन्ती पार्क में निर्मित फूड कोर्ट का दो वर्ष की अवधि के लिए संचालन का कार्य।

फूड कोर्ट संचालन की नियम एवं शर्तों की विवरणिका

एक सुन्दर शहर......................हमारा संकल्प

मूल्य–रू0 1298.00 जी0एस0टी0 सहित

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद

(I.S.O. 9001:2008 एवं I.S.O. 14001:2004 द्वारा प्रमाणित संस्था)

<u>नीलामी (Auction) हेतु आवेदन एवं नियम व शर्तेः–</u>

कार्य का नामः– इन्दिरापुरम योजना स्थित स्वर्णजयन्ती पार्क में निर्मित फूड कोर्ट का दो वर्ष की अवधि के लिए संचालन का कार्य।

1. इन्दिरापुरम योजना स्थित स्वर्णजयन्ती पार्क में निर्मित 04 नग फूड क्योस्क के संचालन की अवधि दो वर्ष की होगी।
2. नीलामीदाता को आयकर पैन नम्बर, आधार कार्ड व फोटो पहचान पत्र की प्रति जमा कराना होगा।
3. नीलामीदाता को नीलामी के समय प्रति फूड क्योस्क रू0 1,00,000.00 (एक लाख) मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय हो, जमा कराना होगा, जो संचालन अवधि समाप्त होने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
4. यह कि इस नीलामी द्वारा स्वर्णजन्ती पार्क में निर्मित फूड कोर्ट की दो वर्ष की संचालन दिनांक................से .... की अवधि के लिए अनुमन्य होगा। प्रत्येक वर्ष नीलामी की धनराशि 10 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
5. नीलामीदाता द्वारा फूड क्योस्क में विद्युत संयोजन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी, जिसके लिए प्राधिकरण द्वारा कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।
6. नीलामीदाता आवंटित फूड क्योस्क के अनुरूप ही सामग्री की विक्रय करने के लिए बाध्य होगा।
7. नीलामीदाता द्वारा फूड क्योस्क का स्वरूप परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
8. नीलामीदाता को दी गयी सम्पत्ति व उसके आस–पास की सफाई का पूर्ण दायित्व होगा और नीलामीदाता अपने खर्चे पर उच्च कोटि के डस्टबिन आदि की व्यवस्था स्वयं करेगा।
9. नीलामीदाता को फूड क्योस्क संचालन हेतु नैतिक सहयोग प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा। किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं दी जायेगी।
10. नीलामीदाता को अपने व्यय पर फूड क्योस्क का बीमा कराना होगा।
11. नीलामीदाता द्वारा संचालित फूड क्योस्क परिसर में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक व अन्य घटना घटित होने से किसी कर्मचारी अथवा आने वाले व्यक्तियों को किसी प्रकार की छति होने पर उसकी छतिपूर्ति की प्रतिपूर्ति का दायित्व नीलामीदाता का होगा। प्राधिकरण उसके लिये उत्तरदायी नही होगा।
12. नीलामीदाता को स्वर्णजयन्ती पार्क में होर्डिंग लगाने की अनुमति नही होगी, केवल फूड क्योस्क पर बोर्ड लगाने की अनुमति होगी, जिसका साईज एवं लेखन विवरण तथा स्थापित करने का स्थान प्राधिकरण से पूर्व अनुमोदित कराना होगा।
13. प्राधिकरण द्वारा दी गयी सम्पत्ति के निरीक्षण करने का अधिकार प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी को होगा तथा उच्च अधिकारियों द्वारा दिये गये सुझाव नीलामीदाता को मान्य होंगे।
14. प्राधिकरण द्वारा दी गयी सम्पत्ति एवं उसके संचालन में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित किसी भी प्रकार के शुल्क, कर या अन्य देयको के अदा करने की जिम्मेदारी नीलामीदाता की होगी, प्राधिकरण का कोई उत्तरदायित्व नही होगा।
15. प्राधिकरण द्वारा दी गयी सम्पत्ति के नीलामी विलेख को भंग करने का पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष गाजियाबाद

विकास प्राधिकरण का होगा, जिसके लिए एक माह का नोटिस देकर नीलामी समाप्त की जा सकती है, नीलामी विलेख भंग हो जाने की दशा में नीलामीदाता को फूड क्योस्क के संचालन में हुये खर्चे की प्रतिपूर्ति/प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार नही होगा और वह इस हेतु प्राधिकरण के विरूद्व कोई वाद भी योजित नही कर सकेगा।

16. नीलामीदाता द्वारा फूड क्योस्क परिसर की वार्षिक रंगाई–पुताई एवं मरम्मत मानक के अनुरूप स्वयं के खर्चे पर करनी होगी, जिसकी प्रतिपूर्ति प्राधिकरण द्वारा नही की जायेगी, तथा सम्पूर्ण फूड क्योस्क की कलर स्कीम एक समान होगी, जिसे प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।
17. उच्चतम प्रस्तावक को 25 प्रतिशत धनराशि तत्समय जमा करनी होगी। प्रथम उच्चतम प्रस्तावक द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि जमा न करने पर उसकी जमानत की धनराशि जब्त करते हुए द्वितीय उच्चतम प्रस्तावक की बोली की 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराने के लिए निर्देशित किया जायेगा, यदि द्वितीय उच्चतम प्रस्तावक द्वारा भी 25 प्रतिशत धनराशि जमा नही की जाती है तो उसकी भी जमानत जब्त करते हुए समस्त कार्यो हेतु पुनः नई एजेन्सी का चयन किया जायेगा।
18. संचालनकर्ता द्वारा फूड क्योस्क में रखी गयी वस्तुओं की निर्धारित विक्रय दर की सूची संस्था द्वारा लगायी जानी अनिवार्य होगी।
19. नीलामीदाता द्वारा फूड क्योस्क संचालन में जिला खाद्य एवं अपमिश्रण विभाग के नियम एवं मानकों के अनुसार ही वस्तुएं विक्रय हेतु रखी जायेगी। किसी भी नियम का उल्लंघन होने की स्थिति में नीलामीदाता की स्वंय की जिम्मेदारी होगी प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
20. फूड क्योस्क संचालन हेतु सामग्री लाने व ले जाने एवं कर्मचारियों के प्रवेश हेतु अनुमति प्राधिकरण के नियम व शर्तो के अन्तर्गत प्रदान की जायेगी।
21. नीलामीदाता द्वारा फूड क्योस्क परिसर में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थाई निर्माण की अनुमति नही होगी, स्थल पर सफाई आदि की जिम्मेदारी संचालनकर्ता की होगी।
22. नीलामीदाता क्योस्क के बाहर कोई अतिरिक्त अतिक्रमण नहीं करेगा, तथा उच्चकोटी का पोर्टेबल फर्नीचर ही लगा सकेगा।
23. प्राधिकरण द्वारा दी गयी सम्पत्ति स्थल पर शांति व्यवस्था बनाये रखने एवं किसी भ्रमणाकरी के साथ दुर्व्यवहार न करने की जिम्मेदारी नीलामीदाता की होगी, शांति व्यवस्था भंग होने की दशा में प्राधिकरण का कोई उत्तरदायित्व नही होगा, तथा किराया विलेख भंग कर दिया जायेगा।
24. फूड क्योस्क के सम्बन्ध में कोई भी विवाद उत्पन्न होने पर उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय ही अन्तिम एवं दोनो पक्षो को मान्य होगा।
25. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जिला गाजियाबाद होगा।
26. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायायल एवं स्थानीय न्यायालय द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेशों का अनुपालन करना होगा।
27. फूड क्योस्क संचालन पर कार्यरत कर्मचारियों को निर्धारित ड्रेस में (ड्रेस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जायेगी) नेमप्लेट सहित ड्यूटी पर उपस्थित रहना होगा। कर्मचारियों की एक सूची नाम व पते सहित मौके पर रखनी होगी तथा उसकी एक प्रति कार्यालय को भी उपलब्ध करानी होगी।
28. संचालन व्यवस्था में लगाये गये सभी कर्मी 18 वर्ष से अधिक तथा 45 वर्ष से कम आयु के निरोगी/स्वस्थ हो तथा न्यून्तम मजदूरी अधिनियम (Labour Act), ई0एस0आई0, पी0एफ0 आदि की उत्तरदायित्व नीलामीदाता का होगा।
29. संचालन व्यवस्था में लगाये गये कर्मी पूर्व में कभी भी किसी भी प्रकार की अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं होने चाहिए, तथा संचालक एजेन्सी द्वारा कर्मियों के चरित्र प्रमाण पत्र का शपथ पत्र प्राधिकरण में जमा कराने होंगे।
30. अग्निशमक संयन्त्र की व्यवस्था एवं रख–रखाव नीलामीदाता को स्वयं करना होगा।
31. मद्यपान पूर्णतः निषेध रहेगा। अवहेलना करने पर नीलामी निरस्त कर दिया जायेगा, तथा जमा धनराशि भी जब्त कर ली जायेगी।
32. फूड क्योस्क प्रातः 7:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक संचालित रहेगा।

33. पर्यावरण के विपरीत कोई गतिविधि नहीं करेंगे।

34. नो प्लास्टिक जोन है। अतः कोई पॉलीथीन का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

35. मादक द्रव्य/तम्बाकू, सिगरेट, गुटखा आदि का विक्रय प्रतिबन्धित है।

36. उपरोक्त शर्तो में से किसी भी एक शर्त का उल्लंघन होने की दशा में जमा धनराशि रू0 1,00,000.00 (एक लाख) को जब्त करते हुये नीलामी निरस्त कर दी जायेगी, तथा कोई क्षतिपूर्ति व मुआवजा देय नहीं होगा।

प्रभारी उद्यान
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

मैने उपरोक्त 1 से 36 तक सभी शर्तो को पढ़ लिया है और सुन लिया है व समझ लिया है और पूरी जानकारी के साथ अपना ऑफर रू0.......................................शब्दों में .... प्राधिकरण के नियमों का पालन करने का वचन देता हूॅ।

हस्ताक्षर बोलीदाता